



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122022-240777
CG-DL-E-03122022-240777

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5390]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 2, 2022/अग्रहायण 11, 1944

No. 5390]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 2, 2022/AGRAHAYANA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5622(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 248-A (शाहपुरा -अलवर खण्ड) के स्ट्रेच कि.मी. 0.00 से कि.मी. 87.200 तक (शाहपुरा- थानागाजी खण्ड किमी. 0.00 से किमी. 36.810) दो लेन पेव्ड शोल्डर में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 248-A किमी. 0.00 से किमी. 87.200 तक (शाहपुरा- थानागाजी खण्ड किमी. 0.00 से किमी. 36.810) पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उपखण्ड अधिकारी विराटनगर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH248A के कि.मी. 0.4 से 24.2 तक	राजस्थान	जयपुर	विराट नगर	1 गणेशनगर

[फा. सं. RW/JAI/RJ/CE_RO/NH-12012/2017-18/21]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2022

S.O. 5622(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to two laning with paved shoulders from km. 0.00 to 87.200 (Shahpura- Thanagazi Section from km 0.00 to km 36.810) of National Highway 248-A (Shahpura- Alwar Section) in the District of Jaipur in the State of Rajasthan.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 248-A from km. 0.00 to 87.200 (Shahpura- Thanagazi Section from km. 0.00 to km. 36.810) in the State of Rajasthan.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub Division Magistrate Viratnagar	0.4 KM. To 24.2 KM.	RAJASTHAN	JAIPUR	Virat Nagar	1 Ganeshnagar

[F. No. RW/JAI/RJ/CE_RO/NH-12012/2017-18/21]

RAJESH GUPTA, Director